



कार्यालय
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम

वन परिसर, चन्द्रवनी रोड़, देहरादून, दूरभाष: 0135-2643428 E-mail :- dlmkhanand.dun@gmail.co

पत्रांक—

/पब्लिक आई0पी0 सिस्टम/निविदा/2018-19

दिनांक—.....

निविदा सूचना

खनन प्रभाग, देहरादून के उपखनिज निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित करना, पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़ कर सीधा प्रसारण उपलब्ध कराना तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरों एवं प्रसारण कार्य का संचालन तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु निविदा आमन्त्रण की शर्तें एवं कार्य हेतु दो निविदाओं वाली प्रणाली के अन्तर्गत निविदा आमन्त्रण की सूचना

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, देहरादून द्वारा खनन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत सौंग नदी के सौंग-1, सौंग-2 एवं सौंग-3 तथा जाखन नदी के जाखन-1 व जाखन-2 लौटों के विभिन्न उपखनिज निकासी गेटों पर नीचे दिये गये विवरण अनुसार सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरे स्थापित करना एवं पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़ कर सीधा प्रसारण उपलब्ध कराना तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरों व प्रसारण कार्य का संचालन तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु इच्छुक अनुभवी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) फर्म/कम्पनी/समिति/सोसायटी से मोहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा हेतु प्रारूप एवं अन्य विवरण प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से दिनांक 14.9.2018 से दिनांक 22.9.2018 की सायं 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में रू0 150+ जी0एस0टी0 का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रारूप www.uafdc.in वेबसाइट पर स्वप्रकट है। निविदायें मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 24.9.2018 के अपराह्न 5:00 बजे तक प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के चन्द्रवनी वन परिसर, चन्द्रवनी रोड़, देहरादून स्थित कार्यालय, में प्राप्त होनी चाहिए, जो दिनांक 25.9.2018 को दोपहर 12:00 बजे निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा अनुमोदित समिति द्वारा तकनीकी निविदा खोली जायेगी तथा तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा दिनांक 29.9.2018 की प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी। दिनांक 29 सितम्बर 2018 के सायं 4:30 बजे तक सफल निविदादाताओं की सूची प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय के सूचना पट पर चरपा कर दी जायेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

खनन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत सौंग नदी के सौंग-1, सौंग-2 एवं सौंग-3 तथा जाखन नदी के जाखन-1 व जाखन-2 लौटों के विभिन्न उपखनिज निकासी गेटों पर स्थापित किये जाने वाले सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	खनन लौट	उपखनिज निकासी गेट का नाम	गेटों की संख्या	स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की संख्या
1	सौंग-1	धन्याडी	01	02
2	सौंग-1	गूलरघाटी	01	02
3	सौंग-2	बक्सरवाला	01	02
4	सौंग-2	कालूवाला	01	02
5	सौंग-3	धर्मोचक	02	04
6	जाखन-1	रानीपोखरी	01	02
7	जाखन-1	भोगपुर	01	02
8	जाखन-2	माजरी	01	02

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून

भाग-1-निविदादाता हेतु दिशा निर्देश

- 1 यह निविदा सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3, जाखन-1 तथा जाखन-2 के समस्त उपखनिज निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित करने एवं पब्लिक आई0पी0 सिस्टम द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़कर सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने के साथ-साथ सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा प्रसारण कार्य के रख-रखाव कार्य करने हेतु है।
- 2 खनन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत सौंग नदी के सौंग-1, सौंग-2 एवं सौंग-3 तथा जाखन नदी के जाखन-1 व जाखन-2 लौटों के विभिन्न उपखनिज निकासी गेटों पर स्थापित किये जाने वाले सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	खनन लौट	उपखनिज निकासी गेट का नाम	गेटों की संख्या	स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की संख्या
1	सौंग-1	धन्याडी	01	02
2	सौंग-1	गूलरघाटी	01	02
3	सौंग-2	बक्सरवाला	01	02
4	सौंग-2	कालुवाला	01	02
5	सौंग-3	धर्मोचक	02	04
6	जाखन-1	रानीपोखरी	01	02
7	जाखन-1	भोगपुर	01	02
8	जाखन-2	माजरी	01	02

3. दो निविदाओं वाली प्रणाली के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमन्त्रित की जा रही हैं। तकनीकी निविदा में तकनीकी विवरण के साथ व्यापारिक शर्तें और निबन्धन आमन्त्रित है तथा वित्तीय निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लेखित मदों के लिये निविदा दर आमन्त्रित है।
4. निविदा प्रेषण हेतु पता :- कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, वन परिसर, चन्द्रवनी रोड, देहरादून पिन कोड- 248001 दूरभाष :0135-2643428
5. अर्नेस्ट मनी :- निविदा के साथ नेक जमानत हेतु रू0 8,600/- (आठ हजार छः सौ रूपये) की एफ0डी0आर0/एस0टी0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट, जो प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के पदनाम से बंधक हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
6. कार्यावधि :- कार्य की अवधि 1.10.2018 से 25 मई, 2019 तक हेतु निविदा आमन्त्रित की जा रही है।
7. निविदा हेतु सामान्य शर्तें :-
 1. स्थापित की जाने वाली सामग्री की तकनीकी विशिष्टतायें तालिका 1 में संलग्न है। वर्णित सामग्री, निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होनी आवश्यक है।
 2. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी।
 3. निविदा लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में **C.C.T.V. कैमरों को पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़ने, संचालन तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु निविदा** लिखा होना आवश्यक होगा।
 4. निविदा, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर निर्धारित समय तक प्राप्त होनी आवश्यक है। दस्ती निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
 5. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में किसी विलम्ब / गड़बड़ी के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा और न ही कोई दावा स्वीकार होगा।
 6. निविदा के साथ वांछित प्रमाण पत्रों, आयकर, फर्म/कम्पनी/समिति/सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण, PAN Card, जी0एस0टी0एन0, सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।


7. निविदा निर्धारित निविदा फार्म में ही स्वीकार की जायेगी। निविदा स्पष्ट / साफ अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है। अस्पष्ट-ओवरराइटिंग मान्य नहीं है। निविदा फार्म में निविदादाता के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। हस्ताक्षरकर्ता हेतु कम्पनी / फर्म का अधिकार पत्र भी संलग्न किया जाना है, अन्यथा निविदा प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दी जायेगी।
8. वर्णित समस्त शर्त, प्रपत्र आदि में एकरूपता/समान होने पर स्थानीय निविदादाताओं को /सोसायटी /कम्पनी को कार्य हेतु प्राथमिकता पर विचार किया जा सकता है।
9. सफल निविदादाता को सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों को स्थापित करने एवं, पब्लिक आई०पी० सिस्टम के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, उपजिलाधिकारी डोईवाला, उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि०क्षे०), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़ कर सीधा प्रसारण करने तथा संचालन व रख-रखाव कार्य करने हेतु कार्यादेश, औपचारिक अनुमति एवं कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में उत्तराखण्ड वन विकास निगम की कोई देयता/बाध्यता नहीं होगी।
10. सफल निविदादाता को नियमानुसार अनुबन्ध करना होगा।
11. सफल निविदादाता को पंजीकृत डाक/दूरभाष द्वारा सूचना दी जायेगी।
12. आवश्यक उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, सुरक्षा, संचालन एवं रखरखाव सफल निविदादाता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर करना होगा। इस हेतु वन विकास निगम द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।
13. सफल निविदादाता को उसकी भुगतान राशि पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित दरों से करों की कटौती की जायेगी।
14. किसी विवाद की दशा में क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि०क्षे०) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून आर्बीट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
15. सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों एवं पब्लिक आई०पी० सिस्टम की स्थापना के समय इनकी विशिष्टताओं का सत्यापन प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून द्वारा किया जायेगा।
16. न्यूनतम निविदा दर के आधार पर ही निविदा दर स्वीकृत की जानी आवश्यक नहीं है। निविदा दर के साथ ही साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हुए निविदा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने हेतु समिति की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।
17. सफल निविदादाता को उक्त कार्य के Rights or Liabilities किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
18. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि सौंग एवं जाखन नदियों पर स्थित समस्त उपखनिज निकासी गेट जहाँ पर सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरे स्थापित होने हैं, का स्थलीय मौका मुआयना कर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निविदा दी जाए। निविदा उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
19. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Jurisdiction) देहरादून जनपद में होगा।
20. तकनीकी निविदा (Technical Bid) को लिफाफे में रख कर सील बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में "खनन प्रभाग, देहरादून के उपखनिज निकासी गेटों में सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों को स्थापित करने एवं पब्लिक आई०पी० के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि०क्षे०), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़ कर संचालन करने तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु तकनीकी निविदा" लिखा होना अनिवार्य है। (यह लिफाफा आकार में बड़ा होगा)
21. वित्तीय निविदा (Financial bid) को लिफाफे में रख कर सील बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में "खनन प्रभाग, देहरादून के उपखनिज निकासी गेटों में सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों को स्थापित करने एवं पब्लिक आई०पी० के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि०क्षे०), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय

- लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़कर, संचालन करने तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु वित्तीय निविदा लिखा होना अनिवार्य है। (यह लिफाफा आकार में छोटा होगा)
22. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा के सीलबंद लिफाफों को एक मुख्य लिफाफे में रख कर मोहरबन्द कर निविदा प्रेषित करनी होगी। निविदा के उक्त मुख्य लिफाफे पर "खनन प्रभाग, देहरादून के उपखनिज निकासी गेटों में सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित करने एवं पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़कर, संचालन करने तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु निविदा इंगित कर लिफाफों पर निविदादाता/फर्म/संस्था/समिति/ सोसायटी/कंपनी का नाम व पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुये पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निम्नलिखित पते पर निर्धारित समय से पूर्व प्रेषित करना होगा :-
पता - कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, वन परिसर, चन्द्रवनी रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), पिन कोड 248001
निविदा प्राप्त होने की निर्धारित तिथि/समय- दिनांक- 24, सितम्बर 2018 समय- सायं 5:00 बजे तक।
23. निविदा फार्म के अतिरिक्त अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न होना चाहिए। हस्ताक्षरकर्ता हेतु कम्पनी/फर्म का अधिकार पत्र भी संलग्न किया जाना है अन्यथा की दशा में निविदा को निरस्त समझा जायेगा।
24. किसी प्राकृतिक आपदा, चोरी एवं आग आदि से सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों एवं पब्लिक आई0पी0 सिस्टम से सम्बन्धित उपकरणों आदि की क्षति/खराब होने की दशा में निविदादाता द्वारा उसे 24 घंटे के भीतर कार्यापयोगी स्थिति में लाना होगा तथा पूर्ण खराब/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में 02 दिन के अन्दर कार्य उपयोगी स्थिति में लाना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि की देयता वन विकास निगम द्वारा देय नहीं होगी।
25. सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों एवं पब्लिक आई0पी0 सिस्टम से जोड़ने वाले कार्यालयों की संख्या एवं स्थल में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
26. शर्तों के उल्लंघन की दशा में इस अनुबन्ध के भाग-3 के बिन्दु संख्या 22 में अंकित नेक जमानत जब्त कर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
27. निविदा प्रपत्र की तालिका नं0-2 में तकनीकी निविदा को निर्धारित विवरण के अनुसार भरकर देना होगा तथा तालिका नं0-3 में आई0पी0 सिस्टम की स्थापना, संचालन तथा रख-रखाव हेतु निर्धारित मदों के लिये वित्तीय दर भरकर देना होगा।
28. निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी भी दशा में वापस देय नहीं होगा।
29. क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), देहरादून को किसी एक अथवा समस्त निविदा को स्वीकार/निरस्त करने का बिना कोई कारण बताये पूर्ण अधिकार होगा।
30. किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी संगठन से काली सूची में शामिल/बहिष्कृत फर्म/एजेन्सियाँ निविदा में भाग लेने हेतु योग्य नहीं होंगी।
31. निविदा डालने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

स्थान : देहरादून

दिनांक :/ /2018

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून



भाग-2

पब्लिक आई0पी0 सिस्टम हेतु तकनीकी विशिष्टताओं का विवरण (Technical Specifications)

1. तकनीकी निविदा में निर्धारित सूचना एवं प्रमाणित प्रतियां निम्नवत प्रस्तुत करने होंगे:-

तालिका-1 मूल भूत सूचना (Basic Information)

क्र0	विवरण	भरी जाने वाली सूचना	संलग्नक संख्या	
1	सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों की Make & Model का विवरण*			
2	पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के Make & Model का विवरण*			
3	GSTIN/UIN का पंजीकरण *			
4	PAN आय कर पंजीकरण *			
5	Society Act etc पंजीकरण **			
6	Balance sheet 2016-17*			
7	धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट का विवरण *			
8	निविदा पत्र में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यदि अधिकृत किया गया है का नाम। Power of Attorney की प्रमाणित प्रति संलग्न। **			
9	वचनबद्धता (Letter of Undertaking) संलग्न। *			
10	निविदादाता के नाम सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों, पब्लिक आई0पी0 सिस्टम/ संयन्त्र के स्थापना/ संचालन/ रख-रखाव का तीन वर्षों का अनुभव जिसके लिये सम्बन्धित विभाग/ संस्था के अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। *	स्थान	उपरोक्त कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने के साक्ष्य के समर्थन में अभिलेख	
		1		
		2		
3				
11	किसी भी सरकारी/ अर्धसरकारी संगठन से काली सूची में शामिल/वहिष्कृत न होने का शपथ पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ। *			
12	Reference-1 *	नाम, पता, मोबाईल		
13	Reference-2 *	नाम, पता, मोबाईल		

* सभी के लिये अनिवार्य है। ** जिन पर लागू है, के लिये अनिवार्य है।

2. सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरे, पब्लिक आई0पी0 हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर ब्रान्डेड कम्पनी के व उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए।
3. सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरे, पब्लिक आई0पी0 हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर इस प्रकार से स्थापित होना चाहिए कि चौबीसों घंटे निर्दिष्ट कार्यालयों के कम्प्यूटर/ मोबाईल फोन पर सीधा प्रसारण मिलता रहे।
4. सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरे, पब्लिक आई0पी0 हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की बैक-अप व्यवस्था अर्थात् हर समय कम से कम एक सैट बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, जिससे कि यदि कोई सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरे, पब्लिक आई0पी0 हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर किन्हीं कारणों से कार्य करना बंद कर दे तो बैक अप व्यवस्था के माध्यम से इसको तत्काल संचालित किया जा सके।
5. पब्लिक आई0पी0 हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की न्यूनतम एक वर्ष की वारन्टी होना आवश्यक है।
6. प्रत्येक गेट पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जाये जिससे कि वाहन के आगे, पीछे एवं मध्य सभी गतिविधियों (वाहन चालक का फोटो सहित) की रिकार्डिंग हो सके। इस हेतु मौके पर कम से कम 10 फीट ऊँची खम्भों का निर्माण निविदादाता को अपने व्यय पर करना होगा।

तालिका-2
पब्लिक आई0पी0सिस्टम की तकनीकी निविदा प्रपत्र (Technical Bid)
(To be printed in Letter Head of Bidder)

निविदादाता का नाम एवं पत्राचार हेतु पता, ई-मेल, मोबाइल नम्बर निविदा दाता के Letter Head पर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।
सेवा में,

कार्य का विवरण- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून,
"खनन प्रभाग, देहरादून के उपखनिज निकासी गेटों में सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित करने एवं पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़कर, संचालन करने तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु "तकनीकी निविदा"

महोदय,

तकनीकी निविदा में निर्धारित सूचना एवं प्रमाणित प्रतियां निम्नवत प्रस्तुत हैं-

मूल भूत सूचना (Basic Information)

क्र0	विवरण	भरी जाने वाली सूचना	संलग्नक संख्या
1	सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों की Make & Model का विवरण*		
2	पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के Make & Model का विवरण*		
3	GSTIN/UN का पजीकरण.*		
4	PAN आय कर पजीकरण *		
5	Society Act etcपजीकरण **		
6	Balance sheet 2016-17*		
7	धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट का विवरण *		
8	निविदा पत्र में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यदि अधिकृत किया गया है का नाम। Power of Attorney की प्रमाणित प्रति संलग्न। **		
9	वचनबद्धता (Letter of Undertaking) संलग्न। *		
10	निविदादाता के नाम सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों, पब्लिक आई0पी0 सिस्टम/ संयन्त्र के स्थापना/ संचालन/ रख-रखाव का तीन वर्षों का अनुभव जिसके लिये सम्बन्धित विभाग/ संस्था के अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। *	स्थान कार्य का विवरण	उपरोक्त कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने के साक्ष्य के समर्थन में अभिलेख
11	किसी भी सरकारी/ अर्धसरकारी संगठन से काली सूची में शामिल/वहिष्कृत न होने का शपथ पत्र रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ। *		
12	Reference-1 *	नाम, पता, मोबाईल	
13	Reference-2 *	नाम, पता, मोबाईल	

* सभी के लिये अनिवार्य है। ** जिन पर लागू है के लिये अनिवार्य है।

निविदादाता/ निविदादाताओं के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

तालिका-3

पब्लिक आई0पी0 सिस्टम की वित्तीय निविदा प्रपत्र (Financial Bid) (To be printed in Letter Head of Bidder)

निविदादाता का नाम एवं पत्राचार हेतु पता, ई-मेल, मोबाइल नम्बर निविदा दाता के Letter Head पर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।

सेवा में,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून,

कार्य का विवरण- "खनन प्रभाग, देहरादून के उपखनिज निकासी गेटों में सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित करने एवं पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी, सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्ष0), जिला खान अधिकारी देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़कर, संचालन करने तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु "वित्तीय निविदा"

महोदय,

समस्त उपखनिज निकासी गेटों के लिये वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र निम्नवत प्रस्तुत हैं-

वित्तीय निविदा प्रपत्र (Financial Bid)

S.N.	For all 9 gate, 18 CCTV (Public I.P Camera)	Per month Charge Rate in Rs.	GST 18%	Total Per month Charge Rate in Rs.
1				

मेरे/हमारे द्वारा निविदा शर्तें भली-भाँति पढ़ ली गई हैं, समझ ली गई हैं, जिनको मान्य करने हेतु मैं/हम बाध्य हैं, सभी शर्तों एवं अनुबन्धों/प्रक्रियाओं का पालन मेरे/हमारे द्वारा किया जायेगा। हमारे द्वारा यह भी समझ लिया गया है कि समस्त उपखनिज निकासी गेटों पर 10 फीट पोल स्थापित करने के साथ-साथ सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों के साथ-साथ आई0पी0 सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट कार्यालयों को सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रकार के आवश्यकताओं की व्यवस्था हमारे द्वारा उक्त दिये गये दरों में ही किया जाना है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का यंत्र, उपकरण, सामग्री व विद्युत व्यवस्था नहीं की जायेगी।

निविदादाता/निविदादाताओं के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

भाग-3 निविदा अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक को जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जायेगा, जो सम्बोधन उनके उत्तराधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को समाहित करता है एवं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जो सम्बोधन उनके उत्तराधिकारियों को समाहित करता है, के मध्य संस्थित किया गया:-

सौंग नदी के अन्तर्गत सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3 तथा जाखन नदी अन्तर्गत जाखन-1 व जाखन-2 लौटों के उपखनिज निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित करने, पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, उपजिलाधिकारी डोईवाला, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन) देहरादून के कार्यालय से जोड़ कर सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने एवं **सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों व आई0पी0 सिस्टम का संचालन तथा रख-रखाव का कार्य**.....को आवंटित किया गया है। प्रथम पक्ष **सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3 तथा जाखन नदी अन्तर्गत जाखन-1 व जाखन-2 लौटों के उपखनिज निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को,** पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, उपजिलाधिकारी डोईवाला, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन) देहरादून के कार्यालय से जोड़कर सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने एवं संचालन तथा रख-रखाव का कार्य करने के लिए सहमत हैं। स्वीकृत निविदा दरों को स्वीकार करते हुए अनुबन्ध करने हेतु दोनों पक्ष निम्न शर्तों पर सहमत हुये हैं:-

(अ) प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच सम्बन्ध (Relationship between the Parties)

1. यह कि **सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3 तथा जाखन नदी अन्तर्गत जाखन-1 व जाखन-2 लौटों के उपखनिज निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित करने एवं पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, उप जिलाधिकारी डोईवाला, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी, देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन) देहरादून के कार्यालय से जोड़ कर सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने तथा सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों, व आई0पी0 सिस्टम का संचालन तथा रख-रखाव का कार्य** प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।
2. यह कि उप-खनिज निकासी दौरान समस्त गेटों पर वाहनों के आवागमन के दौरान सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों द्वारा की जाने वाली वीडियोग्राफी को पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, उप जिलाधिकारी डोईवाला, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन) देहरादून के कार्यालय से जोड़कर अनवरत रूप से सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा संलग्नक-1 में वर्णित स्थलों पर निर्धारित संख्या में सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों व पब्लिक आई0पी0 सिस्टम स्थापित किये जायेंगे। उप-खनिज निस्तारण के कार्य के सम्पादन को सुगम करने के उद्देश्य से द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उप-खनिज संग्रहण कार्य पर सुदृढ़ नियंत्रण एवं सुगमता से सम्पादन के निमित्त सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों की संख्या तथा स्थापना के स्थान में परिवर्तन कर सके। द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित परिवर्तित स्थान पर प्रथम पक्ष द्वारा सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0 सिस्टम यथासमय स्थापित किया जायेगा लेकिन उक्त में होने वाले वास्तविक व्ययों को द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को भुगतान करेगा।
4. यह कि अनुबन्ध की सामान्य अवधि 01 अक्टूबर 2018 से 25 मई 2019 तक निर्धारित होगी। प्रथम पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह उक्त अवधि से पूर्व सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0 सिस्टम स्थापित करें। उपरोक्त अवधि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार,



नई दिल्ली तथा राज् सरकार से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को विधिवत् आवंटन होने पर ही अनुमन्य होगी।

5. अनुबन्ध की उक्त अवधि के बीच यदि भारत सरकार, राज्य सरकार, मा० न्यायालयों, शासनादेशों के कारण उपखनिज निक्कासी कार्य अल्पावधि हेतु बाधित रहता है तो उस दौरान भी प्रथम पक्ष सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों तथा आई०पी०सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट कार्यालयों में सीधा प्रसारण उपलब्ध करायेगा।
6. समस्त उपखनिज निक्कासी गेटों पर स्थापित सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों का दो माह तक का वीडियो फुटेज सुरक्षा रखने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा मांगे जाने पर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना होगा।
7. यह कि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अथवा उससे पूर्व अनुबन्ध समाप्त कराये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को वन विभाग की भूमि पर स्थापित अपनी मशीन, औजार एवं अन्य उपकरणों आदि को अपने व्यय पर 15 दिन की अवधि में अनिवार्य रूप से हटाना होगा, अन्यथा द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से सम्बन्धित उपकरणों एवं सामानों को जब्त करने का अधिकारी होगा।
8. यह कि यदि उप खनिज संग्रहण की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कोई वैधानिक आदेश (राज्य सरकार, वन विभाग/माननीय न्यायालय) द्वारा उप खनिज चुगान न किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है एवं अन्य किसी के विधिक आदेश के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक धर्मकोंटों में तौल कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को उक्त अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार होगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई गई कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि आदि पाने का अधिकारी नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की प्रति पूर्ति पाने की मांग करेगा, उसे अपने व्यय पर कार्य स्थल से अपना मशीन, औजार एवं अन्य उपकरणों को 15 दिन की अवधि में हटानी होगी अन्यथा द्वितीय पक्ष अथवा वन विभाग द्वारा उक्त संयंत्रों एवं सामग्रियों को जब्त किया जा सकेगा।
9. यह कि किसी दैवीय आपदा, चोरी, आग आदि कारणों से प्रथम पक्ष के मशीन एवं संयंत्रों आदि को हुई हानि के लिये द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि पाने का अधिकारी नहीं होगा। गेट कार्यालय में स्थापित सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों तथा पब्लिक आई०पी० सिस्टम से सम्बन्धित समस्त उपकरणों की देखभाल का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

(ब) प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु शर्तें Payment Terms

10. प्रथम पक्ष द्वारा पब्लिक आई०पी० सिस्टम के माध्यम से प्रसारण कार्य सफलतापूर्वक ढंग से करने तथा टैक्स इनवाइस बिल प्रस्तुत करने पर अगले 15 दिनों के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को स्वीकृत दर पर, शासन द्वारा निर्धारित टैक्स की कटौती कर, चैक के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा।
11. प्रथम पक्ष द्वारा प्रेषित वित्तीय निविदा इस अनुबंध पत्र के संलग्नक-4 में उपलब्ध है।

(स) पब्लिक आई०पी०सिस्टम संचालन के मानक Standards of Performance.

12. खनन सत्र के सभी दिन (चौबीसों घण्टे) सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों तथा पब्लिक आई०पी० सिस्टम के माध्यम से निर्दिष्ट समस्त कार्यालयों को सीधा प्रसारण निर्धारित मानकों के साथ करेंगे। राष्ट्रीय/राजपत्रित अवकाश सहित समस्त प्रकार के अवकाश के दौरान भी प्रसारण का कार्य अनवरत जारी रहेगा।
13. प्रथम पक्ष/सफल निवेदाता को अपना प्रतिनिधि सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा निर्देशित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा जहां पर तकनीकी कर्मी हमेशा उपस्थित रहेंगे एवं सी०सी०टी०वी० (आई०पी०) कैमरों तथा पब्लिक आई०पी० सिस्टम के प्रसारण में खराबी या रूकावट आने पर तत्काल पहुंचकर प्रसारण कार्य प्रारम्भ करना होगा। प्रथम पक्ष को अपने सम्बन्धित तकनीकी कर्मी का मोबाइल नम्बर एवं पहचान पत्र प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून को उपलब्ध कराना होगा।



(द) यंत्रों का सुरक्षात्मक एवं कार्यकारी रख-रखाव Preventive and operational Maintenance.

- 14- प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर सभी यंत्र एवं सयंत्रों का निरीक्षण किया जायेगा। यह निरीक्षण प्रथम पक्ष की सुविधानुसार निर्धारित अन्तराल में किया जायेगा अन्यथा प्रति 15 दिन के अन्तराल में किया जायेगा। रख-रखाव हेतु उपयोग की जाने वाली अवधि की सूचना प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पूर्व में लिखित रूप से सूचित की जायेगी। जो सयंत्र खराब है उन्हें प्रथम पक्ष द्वारा बदल दिया जायेगा जिसका व्यय प्रथम पक्ष वहन करेंगे।
- 15- सामान्य समयबद्ध रख-रखाव का कार्य उस समय किया जायेगा जब धर्मकांटो पर वाहनों का आवागमन न्यूनतम रहता है जिससे धर्मकांटे के संचालन में दुष्प्रभाव न पड़े।
16. सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों एवं पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के शत प्रतिशत कार्य सुनिश्चित करने हेतु सभी इलैक्ट्रॉनिक सम्बन्धित उपकरणों का Back up प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(ध) विधि के प्राविधानों का अनुपालन Abide Legal provisions and Duties

17. यह कि सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0सिस्टम सयंत्रों के संचालन हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमति एवं सत्यापन रिपोर्ट प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करना होगा तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख द्वितीय पक्ष के पास प्रस्तुत करने होंगे।
18. यह सिद्ध होने पर कि सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0 सिस्टम पर कोई छेड़छाड़ की गई या गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व सम्पूर्ण रूप प्रथम पक्ष का होगा।
19. यह कि सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0सिस्टम के रख-रखाव, क्षतियों की मरम्मत के लिये प्रथम पक्ष उत्तरदायी रहेगा एवं यदि सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0सिस्टम के संचालन में कोई तकनीकी कमी आती है, तो उसे तुरन्त ठीक कराने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा एवं इस अवधि में सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0सिस्टम की वैकल्पिक व्यवस्था, द्वितीय पक्ष के सञ्ज्ञान में प्रथम पक्ष द्वारा अपने स्वयं के अतिरिक्त व्यय पर की जानी होगी।

(न) द्वितीय पक्ष द्वारा निरीक्षण Inspection

20. यह कि सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों एवं पब्लिक आई0पी0सिस्टम के संचालन का नियन्त्रण द्वितीय पक्ष के अधिकारी/कर्मचारियों के अधीन किया जायेगा।
21. यह कि द्वितीय पक्ष के अधिकारी/कर्मचारियों, राजस्व विभाग, खनन विभाग एवं वन विभाग के कार्मिकों को सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0सिस्टम का किसी भी समय निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार है।
22. सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0सिस्टम की स्थापना के समय इसकी विशिष्टियों का सत्यापन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्राधिकृत विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

(प) कार्यपूर्ति प्रतिभूति Performance Guarantee

23. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3 तथा जाखन नदी अन्तर्गत जाखन-1 व जाखन-2 लौटों के उपखनिज निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित कर पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, उपजिलाधिकारी डोईवाला, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन) देहरादून

- के कार्यालय से जोड़ने, संचालन तथा रख-रखाव कार्य हेतु कार्य मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि की एक वर्ष की सावधि जमा बन्धक राशि उपलब्ध करायी जायेगी, जोकि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास के नाम पर निरूपित रहेगा।
24. यह कि प्रथम पक्ष को किये जाने वाले भुगतान में से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आरोपित करों की वसूली नियमानुसार किया जायेगा।
25. यह कि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने पर अनुबन्ध में निर्धारित खनन कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व संलग्नक-1 में वर्णित समस्त स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0 सिस्टम का संचालन कार्य आरम्भ करना होगा। प्रथम पक्ष पर ऐसा न किये जाने पर प्रति दिन विलम्ब के लिए प्रति स्थल रू0-1000.00 (एक हजार) मात्र तक का अर्धदण्ड द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से वसूल कर सकेगा। यह अवधि 15 दिन तक मान्य होगी इसके पश्चात जमानत की धनराशि जब्त कर, पब्लिक आई0पी0 सिस्टम स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव हेतु वन विकास निगम स्वतंत्र होगा।

(फ) श्रमिक से सम्बन्धित Labour Related

26. प्रथम पक्ष द्वारा योजित समस्त कार्मिकों के समस्त देयकों के भुगतान एवं उनकी सुविधा का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का है। प्रस्तावक को योजित मजदूरों/कार्मिकों के उपस्थिति पंजिका/मस्टर रोल का रखरखाव भी करना होगा। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन करना प्रथम पक्ष का दायित्व होगा।
27. कार्य के दौरान/अनुबन्ध अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा योजित कार्मिकों के किसी भी प्रकार के **Compensation** आदि की देयता का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
28. सफल निविदादाता अपने द्वारा नियोजित कार्मिकों के कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
29. सफल निविदादाता को उक्त कार्य के **Rights or Liabilities** किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
30. सफल निविदादाता को उक्त कार्य में योजित किये जाने वाले कार्मिकों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम व विवरण **Recent Photograph, Proof of Identity, Character Certificate** तथा शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन), देहरादून को पूर्व से उपलब्ध कराया जाना होगा। कार्य के दौरान प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक यदि यह समझते हैं कि अमुक कर्मी का कार्य/व्यवहार वन विकास निगम के हित में नहीं है तब वह उस कार्मिक को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित कर सकते हैं। प्रथम पक्ष को तदनुसार प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन), देहरादून के निर्देशानुसार कार्यवाही करने की बाध्यता होगी एवं प्रतिस्थानी की अविलम्ब व्यवस्था करनी होगी।
31. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समय-समय पर खनन कार्यों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों आदि हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रथम पक्ष को सहभागिता करनी होगी।

(ब) अर्थ-दण्ड Penalty

32. निविदा अनुबन्ध में निर्दिष्ट तिथि (01 अक्टूबर 2018) से पूर्व समस्त उपखनिज निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 (पब्लिक आई0पी0) कैमरे स्थापित कर पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के माध्यम से समस्त निर्दिष्ट कार्यालयों से जोड़ने की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। विलम्ब करने पर रू0-1,000/- विलम्ब शुल्क प्रति गेट /प्रति दिन आरोपित किया जा सकता है।
33. सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के विधिवत् स्थापित होने के बाद सफल निविदादाता द्वारा उनका संचालन एवं रखरखाव किया जाना बाध्यकारी होगा। प्रत्येक

- कार्यदिवस का अप एण्ड रनिंग टाइम (Up And Running Time) 100 प्रतिशत होगा। अर्थ-दण्ड लगाने को कुल चार स्तर पर विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर का अर्थ-दण्ड एक कार्य दिवस में हुई कार्य बाधा की अवधि पर कुल रू0 2,000 (रू0 दो हजार मात्र) आर्थिक दण्ड तक का है। दूसरे स्तर का अर्थ-दण्ड लगातार दो कार्य दिवस में हुई कार्य बाधा की अवधि के आधार पर कुल रू0 4,000 प्रतिदिन आर्थिक दण्ड तक का है। तीसरा स्तर का अर्थ-दण्ड 6,000.00 रू0 प्रतिदिन उस स्थिति के लिये है जब दूसरे स्तर के दण्ड के क्रियान्वयन के बाद भी कार्य अवरुद्ध रहता है। चौथे स्तर का अर्थ-दण्ड कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त करने का है।
34. पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के यदि कोई उपकरण खराब होता है तो उसे तुरन्त बदलने की कार्यवाही प्रथम पक्ष को करनी होगी और उसी कार्य दिवस में न कर पाने की दशा में उक्त खराब उपकरण को प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक द्वारा मरम्मत/रिप्लेस कराया जाता है तो उक्त में हुए व्यय को प्रथम पक्ष को किये जाने वाले भुगतान में से समायोजित कर लिया जायेगा तथा इस प्रक्रिया में हुए विलम्ब के कारण आंकलित राजस्व की हानि की वसूली प्रथम पक्ष से की जायेगी।
35. पब्लिक आई0पी0 सिस्टम के संचालन हेतु प्रथम पक्ष द्वारा तैनात कार्मिकों के समस्त कृत्यों के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा। किसी भी गेट में अनियमितता/निगम हित विरोधी कार्यों में प्रथम पक्ष के कोई संचालन कार्मिक लिप्त पाया जाता है तो इसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा दण्ड निर्धारित अर्थदण्ड प्रथम पक्ष के बिल से वसूली कर ली जायेगी एवं वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है तथा नेक जमानत की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
36. द्वितीय पक्ष द्वारा अधिरोपित अर्थ-दण्ड की अपील प्रथम पक्ष द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(भ) करों की देयता : Payment of taxes

37. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न करों की जो देयता होगी उनको पूर्ण करने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

(म) वाद-विवाद : Legal Jurisdiction and Arbitration

38. इस अनुबन्ध के विभिन्न प्रतिबन्धों के अनुपालन में यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष को 15 दिन का नोटिस देते हुये क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आर्बीट्रेशन के लिये आवेदन करेगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों के लिये स्वीकार्य एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
39. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबन्ध पत्र के प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने अथवा आई0पी0सिस्टम के माध्यम से प्रसारण का कार्य संतोषजनक ढंग से न करने पर, यदि द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबन्ध की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व समाप्त करने का निर्णय लेता है तो प्रश्नगत कार्य किसी अन्य के माध्यम से सम्पादित कराने के लिये द्वितीय पक्ष स्वतन्त्र होगा एवं इस प्रकार वैकल्पिक व्यवस्था से कार्य करने में जो अतिरिक्त व्यय द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़ेगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई गई जमानत एवं अन्य देय राशियों से करने का द्वितीय पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा।
40. प्रथम पक्ष यदि किन्ही कारणों से अनुबन्ध से पृथक होना चाहता है अथवा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उन्हें इस आशय का तीन माह का नोटिस उत्तराखण्ड वन विकास निगम को देना होगा। इसके उपरान्त भी कार्य से पृथक होने के आवेदन से तीन माह से कम का सीजन शेष रह जाता है तो सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0 सिस्टम को हटाने की

अनुमति नहीं होगी और उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विभागीय रूप से प्रथम पक्ष द्वारा स्थापित पब्लिक आई0पी0 सिस्टम का संचालन किया जायेगा और संचालन पर हुए व्यय को घटाते हुए अवशेष धनराशि का भुगतान निविदादाता को किया जायेगा।

41. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Jurisdiction) देहरादून जनपद में होगा।

भाग-4 संलग्नक (Annexure)

42. यह कि संलग्नक-1 में वर्णित स्थान जहाँ पर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों तथा पब्लिक आई0पी0 सिस्टम स्थापित किये जाने हैं तथा इस सिस्टम के माध्यम से जोड़े जाने वाले कार्यालयों का विवरण।
43. प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया विषय वचनबद्धता पत्र (Letter of Undertaking) इस अनुबन्ध पत्र का संलग्नक-2 है।
44. प्रथम पक्ष द्वारा दी गई तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में दिये गये तथ्य एवं घोषणा इस अनुबन्ध पत्र के संलग्नक-3 एवं संलग्नक-4 पर हैं।

उपरोक्त तिथि को उपस्थित साक्ष्यों के मध्य दोनों पक्षों द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पत्रांक/दिनांक द्वारा प्राप्त अनुमोदन एवं प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित किया गया।

द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

(
साक्षी

(
साक्षी

1-

1-

(


(

2-

2-

(

(



भाग- 4

निविदा हेतु वचनबद्धता (Undertaking) का प्रपत्र

(To be printed on Letter Head of Bidder)

निविदाता का नाम एवं पत्राचार हेतु पता, ई-मेल, मोबाइल नम्बर निविदा दाता के Letter Head पर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।

सेवा में,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
वन परिसर, चन्द्रवनी रोड़, देहरादून।

कार्य का विवरण - "खनन प्रभाग, देहरादून के उपखनिज निकासी गेटों में सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों को स्थापित करने एवं पब्लिक आई0पी0 के माध्यम से जिलाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, उपजिलाधिकारी डोईवाला, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), जिला खान अधिकारी देहरादून तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय से जोड़कर, संचालन करने तथा रख-रखाव कार्य करने हेतु निविदा"

महोदय,

1. उक्त कार्य हेतु निविदा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों यथा निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध, विशिष्टताएं एवं अन्य संदर्भ, अनुबन्ध पत्र का भली-भाँति अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं/हम, जिनके नीचे हस्ताक्षर हैं, निविदा अभिलेखों से सहमति की दशा में उक्त कार्य हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा देते हैं।
2. निम्नलिखित में से एक विकल्प को निरस्त कर चयनित विकल्प को हस्ताक्षरित करें:-
वस्तु एवं सेवाकर विभाग द्वारा निर्गत GSTIN की सत्यापित प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर दी है।

अथवा

मैं/हम द्वारा सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरों के स्थापना करने एवं पब्लिक आई0पी0 सिस्टम द्वारा विभिन्न कार्यालयों में सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त है। मैं/हम द्वारा कय एवं विक्रय नहीं किया जाता है। अतः वस्तु एवं सेवाकर विभाग द्वारा मैं/हमें GSTIN प्रदत्त नहीं किया जाता है।

3. निम्नलिखित में से एक विकल्प को निरस्त कर चयनित विकल्प को हस्ताक्षरित करें:-
मैं/हम ई0एस0आई0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार पंजीकृत है और तकनीकी निविदा के साथ पंजीकरण की प्रति संलग्न कर दी है।

अथवा

मैं/हम वचन देते हैं कि ई0एस0आई0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार मैं/हम पंजीकृत होने की श्रेणी की अर्हता नहीं रखते हैं। अतः ई0एस0आई0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं। भविष्य में जब हम ई0एस0आई0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार पंजीकरण की अर्हता के अन्तर्गत आयेंगे तब मैं/हम पंजीकरण करा कर आपको अवगत करायेंगे।

4. निम्नलिखित में से एक विकल्प को निरस्त कर चयनित विकल्प को हस्ताक्षरित करें:-
मैं/हम ई0पी0एफ0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार पंजीकृत है और तकनीकी निविदा के साथ पंजीकरण की प्रति संलग्न कर दी है।

अथवा

मैं/हम वचन देते हैं कि ई0पी0एफ0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार मैं/हम पंजीकृत होने की श्रेणी की अर्हता नहीं रखते हैं। अतः ई0पी0एफ0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं। भविष्य में जब हम ई0पी0एफ0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार पंजीकरण की अर्हता के अन्तर्गत आयेंगे तब मैं/हम पंजीकरण करा कर आपको अवगत करायेंगे।

5. मैं/हम हैसियत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न कर दी है।
6. मैं/हम वचन देते हैं कि, यदि मेरी/हमारी निविदा स्वीकार की जाती है तो हम कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सी0सी0टी0वी0 (आई0पी0) कैमरे तथा आई0पी0 सिस्टम को स्थापित कर सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने की तैयारी पूर्ण कर लेंगे तथा अनुबन्ध में जो अवधि दर्शायी गयी है, में कार्य पूर्ण करने का वचन देता हूँ।
7. मैं/हम अपनी निविदा को निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक के लिए प्रभावी रखेंगे। मैं/हम अग्रेत्तर बचन देते हैं कि हम इस अवधि में निविदा में भरी धनराशि में कोई संशोधन नहीं करूंगा/करेंगे।
8. जब तक अनुबन्ध तैयार करके उसे लागू किया जायेगा, तब तक यह निविदा, स्वीकृति के साथ और बिना स्वीकृति के, हमारे मध्य एक बाध्यकारी संविदा (Contract) के रूप में मान्य होगी, बिना किसी द्वेष के निर्देशों के अनुसार आपको अपनी स्वीकृति वापस लेने का अधिकार रहेगा।
9. मैं/हम यह भली-भाँति समझते हैं कि आप न्यूनतम या अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

निविदादाता/ओं के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

